रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1991/श्रावण 4, 1913
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1991/SRAVANA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1991

सा. का. नि. 519(अ).— केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखपट्टणम पोर्ट मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विशाखपट्टणम पत्तन ट्रस्ट कर्मचारी (अस्थाई सेवा) विनियम, 1991 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अधिसूचना

महापत्तन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल दि. 24-2-1964 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित जी. एस. आर. 321 विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थाई सेवा) विनियम, 1964 का अधिक्रमण करते हुए निम्नांकित विनियमों का निर्माण करता है, अर्थात्

1. लघुशीर्ष, प्रारम्भ होना.— ये विनियम विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अस्थाई सेवा) विनियम, 1991 कहे जायेंगे।

2. ये विनियम मंडल के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जो मंडल के अंतर्गत किसी भी पद पर है या किसी पद पर नहीं है। ये विनियम निम्नलिखित कर्मचारियों पर किसी भी तरह लागू नहीं होंगे :—

(i) अनुबंधित कर्मचारी

(ii) पूर्णकालिक रोजगार पर नियुक्त न किया गया कर्मचारी ।

(iii) आकस्मिकताओं से भुगतान पाने वाले कर्मचारी;

(iv) पेंशन सुविधाओं का विकल्प देने वाले अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति से अतिरिक्त अस्थाई स्थापना में नियोजित यदि है, तो या निर्माण कार्य प्रभारित स्थापना में नियोजित व्यक्ति ।

(v) मंडल द्वारा उल्लिखित अन्य वर्ग के कर्मचारी ।

2. परिभाषाएं :— जहां तक इन विनियमों का संदर्भ अपेक्षित है, वहां

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1964 के तहत नियुक्ति करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी से है ।

(ख) "मंडल" "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभागाध्यक्ष" का अर्थ वही होगा जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में दिया गया है ।

(ग) "कर्मचारी" का अर्थ मंडल के कर्मचारी से है ।

(घ) "अस्थाई सेवा" का अर्थ मंडल के तहत अस्थाई या स्थाई पद पर स्थानापन्न सेवा से है ।

(ङ) "सेवा" मंडल के अंतर्गत सेवा का अर्थ मंडल के अंतर्गत अस्थाई सेवा से है ।

3. अस्थाई सेवा से हटा देना :— (क) अस्थाई कर्मचारी की सेवा, किसी भी समय पर, कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को दोनों में से एक दूसरे को लिखित रूप में नोटिस देने पर सेवा समाप्त हो जायेगी ।

(ख) ऐसे नोटिस की अवधि एक महीना होगी ।

बशर्ते कि ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जानी चाहिए । इस प्रकार की सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को नोटिस अवधि या नोटिस की अवधि यदि एक महीने से कम है, यथास्थिति उस अवधि में अपने वेतन और भत्ते की यह रकम, उसी दर से होगी जो वह सेवा समाप्ति से तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था ।

टिप्पणी:— खण्ड (क) के अंतर्गत कर्मचारी को ऐसे नोटिस देते समय प्राधिकारी निम्नांकित पद्धति अपनायेंगे ।

(i) नोटिस कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से देना या सुपुर्द करना होगा ।

(ii) जहां नोटिस व्यक्तिगत रूप में देना असंभव हो, वहां कर्मचारी को पावती कार्ड सहित पंजीकृत डाक द्वारा उस पते पर भेजना चाहिये जो नियुक्ति प्राधिकारी के पास उपलब्ध है ।

(iii) यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया नोटिस बिना दिये वापिस आ जाये तो ऐसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहिये जो कर्मचारी के निवास क्षेत्र में प्रचलन में है, और ऐसा मान लेना होगा कि वह प्रकाशन, नोटिस के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि को वह व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी को दे देगा ।

2. (क) जहां अस्थाई कर्मचारी को सेवा समाप्त करने हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाये, या ऐसे नोटिस की कालावधि समाप्त होने पर या वेतन और भत्ते चुकाने पर तुरन्त ऐसे किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाये, वहां मंडल या मंडल की ओर से मंडल द्वारा उल्लिखित कोई भी प्राधिकारी स्वयं या अन्यथा इस मामले पर पुनर्विचार कर सकता है और मामले के रिकार्ड देखने के बाद यदि उचित समझे तो कर सकता है अर्थात् :—

(i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करे;

(ii) नोटिस वापस ले ;

(iii) कर्मचारी को नौकरी में बहाल करे;

(iv) इस संबंध में जैसा उचित समझे अन्य कोई आदेश दें ।

बशर्ते कि इस उप विनियम के अंतर्गत लिखित रूप में आलेखित विशेष स्थितियों के अलावा तीन महीने की कालावधि के समाप्त होने के बाद किसी भी मामले पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा ।

(1) नोटिस दिया जाने वाले मामले में, नोटिस दिए जाने की तारीख से ;

(2) नोटिस न दिए जाने वाले मामले में, सेवा समाप्त की जाने की तिथि से

(ख) उप विनियम 2 के अंतर्गत जहां कर्मचारी की नौकरी बहाल की गई वहां नौकरी बहाल किए जाने के आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए:—

(i) सेवा समाप्त किए जाने की तारीख और पुनः नौकरी बहाल किए जाने की तारीख के बीच की अनुपस्थिति अवधि को कर्मचारी को दी जाने वाली, यदि कुछ है तो, रकम या वेतन और भत्ते का अनुपात ।

(ii) क्या उक्त अवधि किसी विशेष रूप से उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर बितायी गयी अवधि के रूप में मानी जाएगी ।

टिप्पणी:—अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला मानक प्रारूप इस विनियम के फार्म 1, 2 और 3 में दिया गया है ।

4. शारीरिक अयोग्यता के आधार पर अस्थायी सेवा की समाप्ति:—विनियम 3 में निहित होने के बावजूद अस्थायी कर्मचारी की सेवायें एक प्राधिकारी द्वारा उस कर्मचारी के शारीरिक रूप से सेवा में बने रहने के अयोग्य घोषित किए जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है । सेवा के अयोग्य होने की घोषणा करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति के

मामले में भी उसे स्थायी रूप से सेवा के अयोग्य घोषित करने में सक्षम हो ।

5. अस्थायी कर्मचारियों को देय सेवान्त उपदान:—

(1) उप विनियम 3 के प्रावधानों की शर्तों पर निवर्तन पर सेवा निवृत्त होने वाला अस्थाई कर्मचारी या सेवा मुक्त कर्मचारी या सेवा में बने रहने के अयोग्य घोषित कर्मचारी निम्नलिखित दर से उपदान का पात्र होगा ।

(क) यदि उसने सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्ति या सेवा रद्द किए जाने के समय लगातार सेवा में 5 वर्ष पूरे किए है तो उस प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक महीने के वेतन का 1/2 (आधा) ।

(ख) सेवा निवृत्ति सेवा समाप्ति या सेवा रद्द किए जाने के समय यदि उसने 10 वर्ष लगातार सेवा की है, तो अधिकतम 15 महीने के वेतन या 15,000 रुपए, जो भी कम हो, होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन।

बशर्ते कि इस विनियम के अंतर्गत देय सेवान्त उपदान की राशि उस राशि से कम नहीं होनी चाहिए, जो कर्मचारी को मण्डल द्वारा भविष्य निधि में अनरुपयोजी अंशदान के रूप में प्राप्त होती, यदि वह अपनी लगातार अस्थाई सेवा की तिथि से अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य होता बशर्ते कि अनुरूपयोजी अंशदान उसके वेतन के 8-1-3 से ज्यादा न हो ।

(2) अनुशासनिक कार्रवाई के कारण अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त अस्थाई कर्मचारी के मामले में संशोधन की शर्त पर उप विनियम (1) में दिए गए प्रावधान लागू होंगे अर्थात् : उस देय उपदान की दर पर विनियम (1) के खण्ड (क) और यथास्थिति खण्ड (ख) में उल्लिखित दर के अनुसार 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए और किसी मामले में ज्यादा भी हीं होनी चाहिए ।

(3) यदि कोई कर्मचारी निर्वतन की उम्र प्राप्त होने पर सेवा से निवृत्त, अस्थायी कर्मचारी 10 वर्ष तक अस्थाई सेवा करने के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मंडल की सेवा में जारी रहने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाने पर या 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रूप सेवानिवृत्ति के लिए तीन महीने का नोटिस देने की स्थिति में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार उप विनियम (1) की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

(1) ऐसे कर्मचारी निवर्तन अनुदान, अशक्त या सेवा निवृत्ति पेंशन, मामले के अनुसार, सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र है ।

(2) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने के मामले में उस के परिवार के सदस्य परिवार पेंशन अनुदान के पात्र होंगे ।

(4) अस्थाई कर्मचारी सेवा में रहते समय यदि दिवंगत हो जाता है तो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत स्थाई कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों के तहत उसका परिवार उसी वेतनमान पर परिवार पेंशन और मृत्यु उपदान के लिए पात्र है ।

(5) इस विनियम के अंतर्गत कर्मचारी को उपदान ग्राह्य नहीं होगा : जब—

(क) जो अपना पद त्याग देता है या अनुशासनिक कारवाई के रूप में सेवा से हटा दिया गया है या बरखास्त कर दिया गया है ;

(ख) जो सेवा निवृत्ति के बाद निवर्तन या सेवा निवृत्ति पेंशन पर पुनर्नियोजित किया गया है ।

बशर्ते कि यदि कोई अस्थायी कर्मचारी, पूर्व अनुमति से मंडल द्वारा पूर्णत: या अंशत: अपनायी गयी या नियंत्रित निगम या कंपनी में या मंडल द्वारा वित्त सहायता प्राप्त नियंत्रित निकाय में नियुक्ति के लिए सेवा से त्याग पत्र देता है तो उसे मंडल में की गई सेवा के संबंध में उप विनियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित दर से सेवान्त उपदान दिया जाएगा ;

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अस्थायी कर्मचारी मूल विभाग की अनुमति से केन्द्रीय स्वायत निकाय में नियुक्त कर लिया जाता है तो पहले उपबंध अंतर्गत उसे सेवान्त उपदान लेने के बदले में स्वायत निकाय के अंतर्गत पेंशन के लिए, यदि पेंशन योजना है तो, मंडल के अंतर्गत की गई सेवा का गणन करने का विकल्प होगा ।

स्पष्टीकरण:—इस उप विनियम के लिए—

(1) "केन्द्रीय स्वायत्त निकाय" का अर्थ उपकर या केन्द्र सरकार के अनुदान द्वारा पूर्णतय: या अंशत: वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय और केन्द्र कानूनी निकाय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय से है । लेकिन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की सीमा में आने वाले सार्वजनिक उपक्रम इस में शामिल नहीं होंगे

(2) "अंशत: वित्तीय सहायता" का अर्थ यह है कि 50% से अधिक व्यय का भुगतान उपकर या केन्द्रीय सरकार अनुदान से किया जाए ।

(6) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत जो कर्मचारी नहीं आते या इस विनियम के अंतर्गत जिन्हें उपदान का भुगतान किया जाता है उन्हें तो और कोई उपदान या पेंशनरी लाभ नहीं दिया जाएगा ।

(7) इस विनियम के लिए—

(क) सेवा निवृत्ति के तुरंत पहले कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले वेतन के आधार पर या उसकी मृत्यु की तिथि के आधार पर उपदान का गणन किया जाएगा ।

(ख) "वेतन" का अर्थ वही होगा जो मूल नियम-9 (21) (क) (1) में दिया गया है ।

(ग) कर्मचारी द्वारा ली गई असमामान्य छुट्टी की अवधि, यदि कुछ हो तो, को सम्पूर्ण सेवा अवधि में परिकलन के समय ध्यान में रखी जाएगी । उसी आधार पर, जिस पर, समय समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) विनियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान मृत्यु उपदान की गणना की जाती है । और

(घ) 120 दिनों को पार न करने वाली अर्जित छुट्टी के दौरान या अर्जित छुट्टी के आरंभिक 120 दिन और इन 120 दिनों को पार करने वाली उन छुट्टियों—जो सेवानिवृत्ति की तिथि को समाप्त हो रही है—में देय वेतन वृद्धि—न लेने पर भी सेवान्त या मृत्यु उपदान के गणन के लिए वेतन का भाग मानी जाएगी ।

6. व्याख्या:—इन विनियमों की व्याख्या के बारे में कोई शंका होने पर उसे मंडल के पास निर्णय के लिए भेजना होगा ।

टिप्पणी:—

मुख्य विनियम:—विशाखापट्णम पोर्ट कर्मचारी (अस्थाई सेवा) विनियम, 1964, सरकार द्वारा मूल रूप दि. 24-2-1964 को जी. एस. आर. 321 में जारी किए गए ये विनियम अंशत: संशोधित किए गए । देखिए, मंत्रालय के निम्नलिखित पत्रों के अनुसार संशोधित किए गए थे ।

1. अधिसूचना सं. पी ई बी-9/75, दि. 20-2-1976

2. अधिसूचना सं. पी ई बी-32/76, दि. 6-10-1976

आर. जीवरत्नम, सचिव
विशाखापट्णम पोर्ट ट्रस्ट,
विशाखापट्णम-530035

फार्म-I

(विनियम 3 देखें)

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1991 के विनियम—3(1) में जारी सेवा मुक्ति का नोटिस ।

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम 1991 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के निष्पादन में मैं————————————श्री/श्रीमती/कुमारी————————————

(नाम पदनाम)

————को नोटिस देता हूं या यथास्थिति पेश करता हूं कि नोटिस दिए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख से उसकी सेवायें समाप्त की जायेंगी ।

स्टेशन:

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

पावती

मैं आज के दिन सेवा समाप्ति नोटिस की पावती स्वीकार करता/करती हूं ।

स्टेशन:

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक:

पदनाम:

फार्म-II

(विनियम 3 देखें)

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम 1991 के विनियम-3 के उप विनियम 2 के उपबंध के अंतर्गत सेवा समाप्ति का आदेश ।

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम 1991 के विनियम 3 के उप विनियम (1) के उपबंधों के निष्पादन में, मैं ——————————————————श्री/श्रीमती/कुमारी——————————
(नाम और पदनाम)
——————की सेवा तत्काल समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि अपनी सेवा समाप्त होने से तुरंत पहले या यथा स्थिति जिस दर से वह वेतन और भत्ते की रकम प्राप्त कर रहा/रही थी उसके बराबर रकम उस अवधि, जिसमें एक महीना नोटिस के लिए कम पड़ता है, मे पाने का हकदार होगा/होगी ।

स्टेशन:

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

फार्म-III

(विनियम 3 देखें)

विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम 1991 के विनियम 3 के उप विनियम 2 के उपबंध के अंतर्गत सेवा समाप्ति का नोटिस उसे दिए जाने की अवधि के दौरान जारी सेवा समाप्ति आदेश ।

श्री/श्रीमती/कुमारी——————————————के दिनांक ——————————के सेवा समाप्ति नोटिस नं. ——————————के परिवर्तन में और विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम 1991 के विनियम 3 के उप विनियम 1 के उपबंध के अनुसार मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ——————————————— की सेवायें तुरंत समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि इस आदेश की तिथि से तुरंत पहले जिस दर से वह वेतन और भत्ते की रकम प्राप्त कर रहा था/रही थी उसके बराबर राशि उस अवधि के लिए जिसमें एक महीना नोटिस के लिए कम पड़ता है उसे दी जाए ।

स्टेशन:

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

[फा. सं. पी. आर—12012/6/91—पी ई-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1991

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Employees' (Temporary Service) Regulations 1991 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section-28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust hereby makes, the following Regulations, in Supersession of the V. P. Employees' (T.S.) Regulation, 1964; published as G.S.R. 321, dated 24-2-64, in the Gazette of India.

1. Short title and commencement.—1. These Regulations may be called the Visakhapatnam Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1991.

2. They shall apply to all persons who hold a post under the Board but who do not hold a lien on any post under that Board. These regulations shall not, however, apply to :—

(i) Employees engaged on contract;

(ii) Employees not in whole-time employment;

(iii) Employees paid out of contingencies;

(iv) Persons employed in extra-temporary Establishments if any, or in work charged establishments other than the persons employed temporarily and who have opted for pensionary benefits;

(v) Such other categories of employees as may be specified by the Board.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "appointing authority" means the authority empowered to make appointment to the post under the Visakhapatnam Port Employees' (Classifications, Central and Appeal) Regulations, 1964.

(b) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of a Department" shall have the same meanings assigned to them in the Majort Port Trusts Act, 1963.

(c) Employee means an employee of the Board.

(d) "temporary service" means officiating service in a temporary or in a permanent post under the Board.

(e) "Service" under the Board means temporary service under the Board.

3. Termination of Temporary Service:—1. (a) The services of a temporary employee, shall be liable to termination at any time by a notice in writing given either by the employee to the appointing authority or by the appointing authority to the employee.

(b) The period of such notice shall be one month.

Provided that the service of any such employee may be terminated forthwith and on such termination the employee shall be entiled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his services or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

NOTE : The following procedure shall be adopted by the appointing authority while serving notice on such employee under Clause (a) :—

(i) The notice shall be delivered or tendered to the employee in person

(ii) Where personal service is not practicable the notice shall be served on such employee by registered post acknowledgment due at the address of the employee available with the appointing authority.

(iii) If the notice sent by registered post is returned unserved, it shall be published in the local News Paper of the newsapper having circulttion in the area in which he resides and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such employee on the date it was published in the Local News Paper as mentioned above.

2(a) Where a Notice is given by the appointing authortiy terminating services of a temporary employee, or where the services of any such employee is terminated either on the expiry of the period of such notice or forthwith by payment of pay plus allowances, the Board or any other authority specified by the Board in this behalf may, of its own motion or otherwise, re-open the case, and after making such enquiry as it deems fit,—

(i) Confirm the action taken by the appointing authority;

(ii) Withdraw the notice;

(iii) reinstate the employee in service; or

(iv) make such other order in the case as it may consider proper :

Provided that except in special circumstances, which should be recorded in writing, no case shall be reopened under this sub-regulation after the expiry of three months—

(i) from the date of notice, in a case where notice is given;

(ii) from the date of termination of service, in a case where no notice is given.

(b) Where an employee is re-instated in service under sub-regulation (2), the order of re-instatement shall specify—

(i) the amount or proportion of pay and allowances, if any, to be paid to the employee for the period of his absence between the date of termination of his services and the date of his re-instatement; and

(ii) whether the said period shall be treated as a period spent on duty for any specified purpose or purposes

NOTE : Standard proforma prescribed to be used for termination of services of temporary employees under this regulation are given in Forms-I, II and III.

4. Termination of temporary Service on account of Physical Unfitness.—Notwithstanding anything contained in Regulation-3. the services of a tempory employee may be terminated at any time without notice on his being declared physically unfit for continuance in service by an authority who would have been competent to declare him as permanently incapacitated for service had his appointment been permanent.

5. Terminal gratuity payable to temporary employees:—(1) Subject to the provisions of sub-regulation-3, a temporary employee who retires on superannuation or is discharged from service or is declared invalid for further service shall be eligible for gratuity at the rate of—

(a) one half of a month's pay for each completed year of his service, if he had completed not less than five years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment;

(b) One months pay for each completed year of his service subject to a maximum of fifteen months pay or fifteen thousand rupees, whichever is less, if he had completed not less than ten years' continuous service at the time of retirement, discharge or invalidment;

Provided that the amount of terminal gratuity payable under this sub-regulation shall not be less than the amount which the employee would have got at a matching Board contribution to the provident fund if he were a member of a contributory provident fund scheme from the date of his continuous temporary service subject to the condition that the matching contribution shall not exceed 8 1/3 per cent of his pay.

(2) In the case of a temporary employee who is compulsorily pulsorily retired from service as a disciplinary measure, the provisions of sub-regulation (1) shall apply subject to the modification that the rate of gratuity payable in his case shall not be less than two-thirds of, but in no case exceeding, the rate specified in clause (a) or, as the case may be, clause (b) of sub-regulation (1)

(3) In the case of a temporary employee who retires from service on attaining the age of superannuation or on his being declared to be permanently incapacitated for further Board service by the appropriate medical authority, after he has rendered temporary service of not less than ten years or who has sought voluntary retirement by giving three months' notice in writing on completion of 20 years service, provision of sub regulation (1) shall not apply and in accordance with, the provisions of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

(i) Such an employee shall be eligible for the grant of superannuation, invalid or retiring pension, as the case may be, and retirement gratuity; and

(ii) in the event of his death after retirement, the members of his family shall be eligible for the grant of family Pension.

(4) In the event of death of a temporary employee while in service, his family shall be eligible for family pension and death gratuity at the same scale and under the same provisions as are applicable to permanent employees under the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

(5) No gratuity shall be admissible under this regulation to an employee,—

(a) Who resigns his post or who is removed or dismissed from service as a disciplinary measure;

(b) Who is re-employed after retirement on superannuation or retiring pension ;

Provided that a temporary employee who resigned from service to take up, with prior permission, an appointment under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Board or in or under a body Controlled or Financed by Board shall be paid terminal gratuity at the rate prescribed under sub-regulation (1) in respect of the service rendered by him under the Board:

Provided further that a temporary employee who has been absorbed in a Central Autonomous body, with the permission of the parent department, shall have an option to count the service rendered under the Board for the purpose of pension under the autonomous body if it has a pension scheme, instead of drawing the terminal gratuity under the first proviso.

EXPLANATION.- For the purpose of this sub-regulation—

(i) "Central Autonomous Body means a body which is financed wholly or substantially from cess or Central Government grants and includes a Central statutory body or a Central University but does not include a Public undertaking falling under the purview of the Bureau of Public Enterprises ;

(ii) "Financed substantially" means that more than 50% of the expenditure is met by cess or Central Government grants".

(6) Where gratuity under this regulation is paid to or in respect of an employee who is not covered by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, no other gratuity or pensionary benefit is payable.

(7) For the purpose of this regulation,—

(a) Gratuity shall be calculated on the basis of pay which the employee was receiving immediately before his retirement or on the date of his death;

(b) "Pay" shall mean pay as defined in Fundamental Rule-9 (21)(a)(i);

(c) Period of extraordinary leave, if any, availed of by the employee concerned shall be taken into account for computing the completed service on the same basis as it is taken into account for the purpose of Calculation of pension and retirement gratuity, death gratuity under Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 as amended, from time to time; and

(d) an increment earned during the currency of earned leave not exceeding 120 days or during the first 120 days of earned leave exceeding 120 days expiring on the date of retirement, though not actually drawn, shall form part of the pay for purposes of calculating terminal/death gratuity",

6. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board who shall decide the same.

NOTE :

PRINCIPAL REGULATIONS.—The Visakhapatnam Port Employee's (Temporary Service) Regulations 1964 vide originally issued by the Government vide, GSR 321 dt. 24-2-1964 These regulations were subsequently amended vide, Ministry's letters mentioned below :—

1. Notification No. : PEV-9/75 Dt. 20-2-'76.

2. Notification No : PEV/76, dt. 6-10-'76.

MSR 20-7-90.

R. JEEVARATNAM, Secy.
Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam-530035.

FORM—I

(See Regn., 3)

Notice of termination of service issued Regulation -3 (1) of the Visakhapatnam Port Employees' (Temporary Service) Reg. 1991.

In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation-3 of the Visakhapatnam Port Employees (Temporary Service) Regulation 1991 I..... hereby give
(Name and designation)
notice to Shri/Smt/Kumari .....
that his/her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served, on or as the case may be, tendered to him/her.

Station :

Date :

Signature of the appointing authority

ACKNOWLEDGEMENT

I hereby acknowledge the receipt on this day of the notice of termination from service.

Station :
Date :

Signature of the individual
Designation :

FORM --II

(See Regn., 3)

Order of termination of service issued under the Proviso to sub-regulation (2) of Regulation-3 of the Visakhapatnam Port employees' (Temporary Service) Regulations, 1991.

In pursuance of the Proviso to sub-regulation (1) of Regulation-3 of the Visakhpaatnam Port Employees' (Temporary Service) Regulation, 1991, I.....
(Name and Designation)
hereby terminate forthwith the services of Shri/Shrimati/Kumari.....
and direct that he/she shall to entitled to claim a sum equivalent to the amount of his/her pay plus allowances for the period of notice the same rates at which he/she was drawing them immediately before the termination of his/her Service, or, as the case be, for the period by which such notice falls short of one month.

Station :

Date :

Signature of the Appointing authority

FORM—III

(See Regn., -3)

Order of termination of service issued under the Proviso to sub-regulation (1) of Regulation-3 of Visakhapatnam Port Employees (Temporary Service) Regulations, 1991, during the currency of the notice of termination of services already served on him.

In modification of Notice No.....dated.....of termination of service of Shri /Shrimati/Kumari.....and in pursuance of the Proviso to sub-regulation (1) of Regulation-3 of the Visakhapatnam Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1991, I hereby terminate forthwith the services of Shri/Shrimati/Kumari.....
and direct that he/she shall be paid a sum equivalent to the amount of pay and allowances for the period by which the said notice falls short of one month calculated at the same rates at which he/she was drawing them immediately before the date of this order.

Station :
Date :

Signature of the Appointing Authority

[F. No. PR-12012/6/91-PE-I]
ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991